



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 22, मंगलवार, शाके 1944-अप्रैल 12, 2022
Chaitra 22, Tuesday, Saka 1944- April 12, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

जयपुर, अप्रैल 12, 2022

संख्या एफ-7(76) रालसा/संस्था-पी.एल.ए.गठन/2022/201 :- माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा पर, राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या प.8(7)विधि-2/विरस(39)/2002 पार्ट/127 दिनांक 11.04.2022 द्वारा अनुमोदन उपरान्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निम्न जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालयों पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सेवानिवृत्त या निवर्तमान न्यायिक अधिकारीगण की पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अधीन वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर एतद्वारा नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है:-

क्र. सं.	अध्यक्ष का नाम	स्थाई लोक अदालत जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय	स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार
1.	श्री हरविन्दर सिंह	जयपुर महानगर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
2.	श्री अनूप कुमार सकसैना	अजमेर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
3.	श्री गिरीश कुमार शर्मा	कोटा	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
4.	श्री अजय कुमार शर्मा – प्रथम पुत्र स्व. श्री देवकी नन्दन शर्मा	झालावाड़	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
5.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	जोधपुर महानगर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
6.	श्री गंभीर सिंह	भरतपुर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
7.	श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता	पाली	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
8.	श्री कैलाश चन्द मिश्रा	बालोतरा	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र

1. क्रम सं. 1 से 8 पर अंकित अधिकारीगण को आदेश का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. उक्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।
3. उक्त स्थानों पर उपलब्ध ए.डी.आर. भवन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में स्थाई लोक अदालत का संचालन होगा।
4. क्रम सं. 1 से 8 पर अंकित अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

दिनेश कुमार गुप्ता,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।